क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONEBHADRA

संदर्भ सं0
Ref.No.: 6039/सरिताकेशरी/N.O.C/2016

दिनांक
Date: 25/02/2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मिर्जापुर।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–673(A)/आ0लि0–अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 05.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ऑन–लाइन माध्यम से उद्यमी का अनापत्ति आवेदन–पत्र मय शुल्क सहित दिनांक 03.02.2016 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आ0नं0–1743, 1744 ग्राम–बामी (मिर्जापुर–रीवाँ रोड), थाना एवं तहसील–लालगंज, जनपद–मिर्जापुर (उ0प्र0) में मेसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के रिटेल आऊट–लेट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रेषित सूचनानुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का वाँछित विवरण प्रेषित किया गया है तथा वर्तमान में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अभिलेखानुसार कोई जन शिकायत प्राप्त नहीं है न ही उद्योग के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है। उद्योग लघु श्रेणी का है तथा प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची में सम्मिलित नहीं है। अतएव बोर्ड मुख्यालय के निर्देशानुसार आपके आवेदन की प्राप्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार की जाती है जो कि निम्न शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत की जाती हैः–

1. पेट्रोल एवं डीजल का भण्डारण एवं वितरण 20 के0एल0, 20 के0एल0 से अधिक नहीं किया जायेगा।
2. पेट्रोल एवं डीजल भण्डारण प्रक्रिया से कोई उत्प्रवाह जनित नहीं किया जायेगा तथा घरेलू उत्प्रवाह का शुद्धीकरण सेप्टिक टैंक/सोकपिट द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
3. पेट्रोल एवं डीजल भण्डारण के समय सम्भावित दुर्घटना से निपटने के लिये अग्निशमन एवं इक्सप्लोसिव विभाग द्वारा प्रापत लाइसेंस में दिये गये शर्तो जैसे–जल भण्डारण, फायर हाइड्रेन्ट मशीनें, बालू एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा आपात स्थिति में समीप स्थित अस्पताल/ नर्सिंग होम से एम्बुलेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
4. बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये गये समस्त आदेश/निर्देश व मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। निर्धारित मानकों का उल्लंघन करना जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
5. बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने पर जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. भू–प्रयोग प्रमाण–पत्र एक माह के अन्दर प्रेषित करें।
7. पेट्रोल एवं डीजल भण्डारण टैंक के चारों तरफ कम से कम तीन मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का विकास किया जाय।

भवदीय,

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, पाँचवा तल, इंदिरा भवन, सिविल लाइन, इलाहाबाद (उ0प्र0)।
2. श्रीमती सरिता केशरी, निवासी मोहल्ला–इमरती रोड, जनपद–मिर्जापुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय- म0नं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र-231216
फोन : 05444-222464
फैक्स : 05444-222464

offi. H.N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonebhadra-231216
Phone : 05444-222464
Fax : 05444-222464